राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दो सौ तेईसवां दिवस [संख्या: 26

सोमवार,

19 सितम्बर 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022
3. राजस्थान वित्त विधेयक, 2022
4. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022

(श्री सचिव)

5. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022
6. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022
7. राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022
8. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022
9. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्लीज। माननीय सदस्य। एक बार अध्यक्ष की बात तो सुनें। माननीय सदस्य। आप मेरी बात सुनिये। मैं बोल रहा हूं न। एक आदमी बोले। आप बोलें। माननीय कटारिया जी, आप बोलें।

अनुरोध एवं मांग

सत्रावसान के अभाव में माननीय सदस्यों के अन्त:सत्रकालीन प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन बुलाना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, आप बोलें। माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी, बोलें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, फरवरी के बाद जो कुछ घटना राजस्थान में घटी, इस विधान सभा के माध्यम से ही तो विधायक अपनी बात कहता है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। एक मिनट। माननीय सदस्य, एक सैकण्ड रुकें। माननीय सदस्य, एक मिनट रुकें आप। माननीय सदस्य। माननीय राजेन्द्र जी, मैंने इनको अलाउ किया है, आप इनको सुन नहीं रहे हैं। राठौड़ साहब, आप सुनना नहीं चाहते। मैंने आपको अलाउ किया और आप खुद

(श्री अध्यक्ष)

नियम तोड़ रहे हैं। माननीय सदस्य, एक मिनट बैठें आप। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी विधान सभा में बहुत लम्बे समय तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यह पहली बार है कि फरवरी का सत्र आपके समाप्ति की घोषणा नहीं करने से हमको जो एक विशेष अधिकार दिया था आपने, उस समय में प्रत्येक विधायक को एक सप्ताह में एक प्रश्न अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए इस हाउस में भेजने का अधिकार था, उसका हनन हुआ है। इस 6 महीने के पीरियड में इतनी उठापटक हर विधान सभा क्षेत्र में भी हुई और राजस्थान में भी हुई। यह विधान सभा होती ही इसलिए है कि जनता की समस्या को हम यहां तक पहुंचाकर जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उसके प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह पहली बार देखा है कि जो क्वेश्चन हमने मार्च के सत्र में लगा दिये और जिनका सौ का कोटा पूरा हो गया उनको आपने बैन कर दिया। उनमें भी जिनके आपने सौ में भी निरस्त कर दिये 12 क्वेश्चन, उसके ऊपर भी आपको फिर क्वेश्चन देने का अधिकार नहीं। एक तरह से आपने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खतम कर दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या तमाशा बना रखा है, इन्होंने सारी नियम परम्पराओं की धज्जियां उड़ाने का काम किया था पांच साल तक। किस मुंह से बोल रहे हो आप लोग? आप किस मुंह से बोल रहे हो? आपने सारी परम्पराएं तोड़ी थीं। आपने राजस्थान विधान सभा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय मदन जी, यह काम मेरा है। यह क्या कर रहे हैं आप? यह काम मेरा है, मैं कर रहा हूं। मैं खड़ा हूं न, कर रहा हूं न। आप कर रहे हो क्या? आपको करना है तो आप चलाइये हाउस को।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट के फैसले के बाद विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया, इसके बारे में तो ये कभी नहीं बोले। आज भारत सरकार को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कल्ला साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य। आप बोलना नहीं चाहते? आप नहीं चाहते? माननीय देवनानी जी। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

कल्ला जी। माननीय सदस्य, आप नहीं चाहते कि कटारिया साहब बोलें? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सीनियर मिनिस्टर को टोक रहे हैं। यह गलत परम्परा है। मैंने कटारिया जी को अलाउ किया है। आपका काम नहीं है इनको रोकने का। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपके नेता बोल रहे हैं, आपको बैठ जाना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पहले अपनी सीटों पर बैठ जाइये ...(व्यवधान) उसके बाद में अपनी बात रखिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप अपने विपक्ष के नेता की बात नहीं सुनना चाहते। विपक्ष के नेता की बात तो सुनो कम से कम। आप सीटों पर बैठें ...(व्यवधान) आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नेता, प्रतिपक्ष तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये वैल में से सीटों पर नहीं जायेंगे। हम कैसे सुनेंगे इनकी। बहुत सुन लिया हमने।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): केन्द्र की सरकार लम्पी वायरस के बारे में ...(व्यवधान) उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते आप।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.07 बजे 11.22 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 11.22 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सदन की कुछ परम्पराएं हैं, उनका निर्वहन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रोटेस्ट करने का आपको पूरा अधिकार है। विधान सभा अध्यक्ष नियम और कानून के अंतर्गत विधान सभा चलाते हैं। सदन कैसे प्रोरोग हो, आप सब सीनियर आदमी जानते हैं। It is between governor and the government. स्पीकर का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने प्रोटेस्ट कर दिया, वह प्रोटेस्ट सरकार के ध्यान में आ गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही को चलने दें। आज शोकाभिव्यक्ति का दिन है, नियम और कानून की पालना कर हम सदन की परम्पराओं को बनायें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आपको अध्यक्ष की गरिमा को कम करना है तो कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि प्रोरोग कैसे होता है, नियम क्या है, कानून क्या है, संविधान की क्या व्यवस्था है। (व्यवधान) माननीय कटारिया जी, या तो मैं बैठ जाऊं? आप सीनियर आदमी हैं, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) या तो मैं बैठ जाऊं? आप सीनियर आदमी हैं। I am on Chair. आप सीनियर आदमी हैं। (व्यवधान) I am on Chair. आप इतने सीनियर हैं, मैं चेयर पर हूं। मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं। क्या आप संसदीय परम्पराओं का पालन कर रहे हैं? आपको पूरा अधिकार है, मैं बैठ जाऊं उसके बाद आप बोलना। आपको पूरा अधिकार है। मैंने मना किया है क्या? (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं और आप फिर बोल रहे हैं। आप क्या परम्परा डाल रहे हैं? (व्यवधान) आप कौनसा नियम बता रहे हैं मुझे? मुझे कौनसा नियम बता रहे हैं? आप मंत्री रहे हैं, आप सरकार में मंत्री रहे हैं। प्रोरोग कौन करता है, बिजनेस कौन करता है? It is between governor and the government. How the Speaker is involved in it? स्पीकर इसमें लिंक नहीं है। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, आप किसी दूसरे को बताना, यह कानून के अंतर्गत चलता है। नहीं चलता, नमस्कार। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

राज्यपाल महोदय से राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 41) एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं

"(I) मैंने राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 41) के प्रावधानों को देखा, जो

(श्री अध्यक्ष)

कि 24 अक्टूबर, 2017 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 के द्वारा मूल अधिनियम राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 की उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है-

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 9 of 1961. In sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961 (Act No. 9 of 1961), for the existing expression "twenty years", the expression "thirty years" shall be substituted.

उक्त संशोधन विधेयक की विषयवस्तु राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 9) की संलग्न अनुसूची में अंकित केन्द्रीय अधिनियमों की परिधि में आते हैं, जिसके फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु उक्त संशोधन विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया।

"माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस (Withdraw) लिये जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किये हैं:-

2. राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017 सहायता उपक्रम की अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष तक बढ़ाने बाबत है। राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1961 के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम में कतिपय औद्योगिक उपक्रमों को पुनर्जीवित कर उसे योग्य बनाने एवं उसके कार्मिकों के नियोजन को बनाये रखने के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। वर्तमान में Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 प्रभाव में है, जो कि केन्द्रीय कानून है तथा सभी विधियों पर अध्यारोही (Overriding) प्रभाव रखता है। राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1961 वर्तमान में प्रभावी है। Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के प्रभाव में आने से उक्त कोड के अन्तर्गत किया गया कार्य राजस्थान के अधिनियम से बाध्य नहीं होगा।

(श्री अध्यक्ष)

3. राजस्थान सहायता उपक्रम अधिनियम, 1961 में पूर्व में स्वीकृत अवधि 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष कुछ विशेष उद्यमों जैसे मैसर्स जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड आदि के प्रकरणों को ध्यान में रखकर किया जा रहा था एवं इस अवधि विस्तार का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है जबकि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में केवल अवधि विस्तार ही प्रमुख प्रस्ताव था। वर्तमान में उक्त प्रस्तावित संशोधन अव्यावहारिक हो गया है।

"इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं।'

राज्यपाल महोदय से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

"(II) मैंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) के प्रावधानों को देखा, जो कि 22 मार्च, 2022 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है और 29 मार्च, 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा मूल अधिनियम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 11 की उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

2. "2019 के राजस्थान अधिनियम संख्या 11 की धारा 11 का संशोधन- विद्यमान अभिव्यक्ति "और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता या जनसंचार की किसी शाखा में न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई वृत्तिक न हो और जो सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला न हो" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(श्री अध्यक्ष)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2018 बनाये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रख्यापित विनियमन भी अधिनियम का ही अंग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2018 संख्या 1.2 के अनुसार उन सभी विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो केन्द्र अधिनियम, राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किये हों तथा विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त यह विनियमन सभी प्रकार के महाविद्यालयों पर भी लागू होंगे एवं Deemed to be University पर भी लागू होंगे। 2018 विनियमन संख्या 7.3 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति हेतु आवश्यक पात्रता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि विशिष्ट शिक्षाविद् हो, 10 वर्ष तक आचार्य के पद पर विश्वविद्यालय में अनुभव रखता हो अथवा 10 वर्ष किसी अनुसंधान और/या शिक्षण संस्था के प्रशासन का अनुभव रखता हो तथा जिसकी शैक्षणिक नेतृत्व की क्षमता हो।

"कुलपति के चयन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 1525/2019 Gambhirdan K Gadhvi versus The State of Gujarat & ors. में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमन सभी विश्वविद्यालयों पर आवश्यक रूप से लागू होंगे तथा किसी भी राज्य द्वारा नियुक्ति हेतु इन नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उक्त संशोधन विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है तथा इस संशोधन के माध्यम से शिक्षण संस्थान में कुलपति के पद पर गैर शैक्षणिक व्यक्ति को नियुक्ति दिया जाना सम्भव होगा। इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं।"

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य। राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022, डा. महेश जोशी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री अंजना उदयलाल।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक कार्य सूची के अनुसार, राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, डा. महेश जोशी।

माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री मुरारी लाल।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति का समय है। सदन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मैं पांच मिनट के लिए हाउस एडजोर्न करता हूं। पांच मिनट के बाद शोकाभिव्यक्ति करेंगे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.34 बजे 11.39 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 11.39 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पूर्व सांसद श्री थानसिंह जाटव तथा इस सदन के पूर्व सदस्य श्री आदराम मेघवाल, श्रीमती इन्दिरा मायाराम, श्री पराक्रम सिंह, श्री भरतलाल एवं श्री जयकृष्ण तोसावड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

थानसिंह जाटव, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री थानसिंह जाटव का जन्म 1 अक्टूबर, 1933 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ। आपने आगरा विश्वविद्यालय से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री थानसिंह जाटव नौवीं लोक सभा में बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित समिति के सदस्य रहे। आप जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

समाज कल्याण के कार्यों में रुचि रखने वाले श्री जाटव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी फैडरेशन की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष तथा अम्बेडकर विचार मंच सहित अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्री जाटव ने अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ब्लाक विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा राजस्थान आवासन मण्डल के सचिव सहित राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री थानसिंह जाटव का दिनांक 5 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया।

आदराम मेघवाल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री आदराम मेघवाल का जन्म 23 सितम्बर, 1942 को हनुमानगढ़ ज़िले के मोधुनगर में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री आदराम मेघवाल ग्यारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। आप ग्यारहवीं विधान सभा में टिब्बी तथा तेरहवीं विधान सभा में पीलीबंगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, पुस्तकालय समिति एवं नियम समिति के सदस्य रहे। आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति भी रहे।

सहकार के पक्षधर रहे श्री मेघवाल मोधुनगर सहकारी समिति के मंत्री एवं कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री आदराम मेघवाल का दिनांक 16 अगस्त, 2022 को निधन हो गया।

इन्दिरा मायाराम, श्रीमती, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक श्रीमती इन्दिरा मायाराम का जन्म 15 अगस्त, 1935 को भरतपुर ज़िले के चूरामन नगरीय ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुईं। श्रीमती मायाराम वर्ष 1998 से 2002 तक राज्य सरकार में परिवार कल्याण, आयुर्वेद, आबकारी, वित्त, देवस्थान, मत्स्य पालन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की राज्य मंत्री रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति की सदस्य तथा विशेषाधिकार समिति की सभापति भी रहीं।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती मायाराम टेलीफोन सलाहकार समिति, पश्चिमी रेलवे सलाहकार समिति, राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान खेलकूद परिषद् एवं राजस्थान अल्प बचत योजना सलाहकार बोर्ड

(श्री अध्यक्ष)

की सदस्य रहीं। आप भारतीय जीवन बीमा निगम एवं बैंक आफ बड़ौदा की निदेशक भी रहीं।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं श्रीमती मायाराम राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस एवं प्रदेश युवक कांग्रेस की अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य सहित अनेक पदों पर रहीं। आपने कई अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों में भी भाग लिया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम का दिनांक 16 जुलाई, 2022 को निधन हो गया।

पराक्रम सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री पराक्रम सिंह का जन्म 10 अप्रैल, 1953 को भीलवाड़ा ज़िले के बनेड़ा ग्राम में हुआ। आपने सैंट स्टीफन कालेज, नई दिल्ली से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री पराक्रम सिंह दसवीं राजस्थान विधान सभा में बनेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह वार्ड मैम्बर तथा पंचायत समिति, बनेड़ा के प्रधान रहे। वन एवं पशुओं की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे श्री सिंह ने वन्य जीव संरक्षण हेतु अनेक कार्य किये।

श्री पराक्रम सिंह का दिनांक 4 अगस्त, 2022 को निधन हो गया।

भरतलाल, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री भरतलाल का जन्म 15 जुलाई, 1936 को सवाई माधोपुर ज़िले के बामनवास में हुआ। आपने इन्टर तथा विशारद् की शिक्षा प्राप्त की।

श्री भरतलाल तीसरी, पांचवीं, सातवीं एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी विधान सभा में मलारना चौर, पांचवीं एवं आठवीं विधान सभा में बामनवास तथा सातवीं विधान सभा में गंगापुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप तीसरी, पांचवीं एवं आठवीं विधान सभा में कांग्रेस से तथा सातवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे।

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, जन लेखा समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति एवं याचिका समिति के सदस्य रहे। आप फरवरी, 1988 से जून, 1989 तक राज्य सरकार में उप मंत्री तथा जून, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक पुनर्वास, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के राज्य मंत्री रहे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री भरतलाल अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनवास के अध्यक्ष भी रहे।

श्री भरतलाल का दिनांक 9 अगस्त, 2022 को निधन हो गया।

जयकृष्ण तोसावड़ा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जयकृष्ण तोसावड़ा का जन्म 1 जुलाई, 1935 को जयपुर ज़िले के मंडावरी ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा पांचवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पांचवीं विधान सभा में फागी तथा आठवीं विधान सभा में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', राजकीय उपक्रम समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा याचिका समिति के सदस्य भी रहे।

युवकों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री तोसावड़ा फागी युवा ब्लाक कृषक समाज के अध्यक्ष तथा फागी युवा ब्लाक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के संयोजक रहे। आप समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा का दिनांक 19 मई, 2022 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्‌धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.47 बजे मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)